फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**
मीरा देवी बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए.

मु0नं0– 101/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 477, 505 वाके रामा मीनावाडा की पत्थरगढी करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया है, प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बहरावण्डा से रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नंबर 477 पर वादीया का आंशिक कब्जा है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर संपूर्ण रकबे पर वादिंया काबिज काश्त नहीं है बल्कि आंशिक भाग पर ही काबिज काश्त है, ऐसी स्थित में पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	